मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : ए-49/16/5/2013-रा.भा.

दिनांक : 02 अप्रैल, 2019

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय।
4. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल।

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों (कार्यालय प्रमुखों) द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018-2019

महोदय,

विदित है कि निगम अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निगम कार्यालयों में हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना लागू है। इस प्रोत्साहन योजना में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक(चिकित्सा)/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक आदि कार्यालय प्रमुख भी भाग ले सकते हैं। इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले कार्यालय प्रमुखों को अपना तत्संबंधी रिकॉर्ड मुख्यालय भेजना होता है और मुख्यालय में इस प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर बीमा आयुक्त द्वारा पुरस्कार की मंजूरी दी जाती है। योजना में भाग लेने वाले अधिकारी नीचे दिए गए प्रोफॉर्मा में अपने डिक्टेशन का रिकॉर्ड रखेंगे:-

क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेशन में लिखी गई पंक्तियों की संख्या	फाइल संख्या	अभ्युक्ति

अनुरोध है कि वर्ष 2018-2019 (01.04.2018 से 31.03.2019) के दौरान इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक कार्यालय प्रमुख अपनी मातृभाषा का उल्लेख करते हुए हिंदी में दिए गए डिक्टेशनों का रिकॉर्ड दिनांक **17.05.2019** तक इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें ताकि उसे प्रतियोगिता में शामिल किया जा सके।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी वर्ग एवं हिंदीतर भाषी वर्ग के लिए **₹ 5,000/- (पांच हजार रुपये केवल)** प्रत्येक पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम संख्या प्रतिवर्ष 100 डिक्टेशन है। आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी हुई पंक्तियां भी डिक्टेशन मानी जाएंगी। 10 पंक्तियों से कम के डिक्टेशन की गणना नहीं की जाएगी। इसके साथ न्यूनतम 10 नमूने भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भवदीय,

02.4.19.

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचना एवं समरूप कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

02.4.19.

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)